आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला–सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक 174 /आर0डी0एम0/2026 सिंगरौली, दिनांक 8 जून, 2026

आदेश

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 1959 की धारा 163 के अंतर्गत)

चूंकि, सिंगरौली जिले में विभिन्न कोयला एवं पॉवर परियोजनाओं की स्थापना एवं बढ़ते औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप सड़क मार्गों से कोयले तथा पावर परियोजनाओं से उत्सर्जित फ्लाई ऐश का व्यापक पैमाने पर परिवहन किया जा रहा है, जिससे एक ओर जहां पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है वहीं सड़क मार्गों में भारी वाहनों के निरंतर आवागमन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है;

और यह भी, कि कोयला एवं फ्लाई ऐश के परिवहन करने वाले तथा अन्य भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन के कारण शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामान्य यातायात अवरुद्ध होने के कारण आम जनता एवं छात्रों के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं के कारण जानमाल की क्षति के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती रहती है ;

और यह भी, कि कोयला एवं फ्लाई ऐश के परिवहन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से मानव जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, व्यापक जनहानि, संपत्ति हानि एवं पर्यावरणीय क्षति हो सकती है तथा लोक-उपद्रव एवं अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है;

और यह भी, कि मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के संदर्भ में समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाना वांछनीय है;

और यह भी, कि उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों के दृष्टिगत पूर्व में इस कार्यालय से जारी आदेशों के तहत जिला अंतर्गत कोयला एवं पॉवर परियोजनाओं से उत्सर्जित फ्लाई ऐश तथा

District Magistrate
Distt. Singrauli (M.P.)

Tel : (कार्या.) 07805-234541, (निवास) 244110, फैक्स : 07805-234540, E-mail : dmsingrauli@mp.gov.in

खनिज रेत, गिट्टी एवं अन्य मालवाहक भारी वाहनों का सड़क मार्ग से परिवहन विनियमित किए जाने के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त वाहनों के परिवहन हेतु समय-सीमा निर्धारित की जाकर No Entry का समय भी निर्धारित किया गया था ;

और यह भी, कि उपलब्ध तथ्यों, पूर्व घटनाओं, वर्तमान परिस्थितियों एवं संभावित जोखिमों पर विचार करने के उपरांत मैं गौरव बैनल, जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जन-सुरक्षा, जन-स्वास्थ्य, लोक-शांति एवं लोक-हित में पूर्व में जारी आदेशों को समेकित करते हुए नए सिरे से कोयला तथा फ्लाई ऐश एवं अन्य भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाना आवश्यक है;

2- अतएव, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में सड़क मार्गों से कोयला, फ्लाई ऐश तथा खनिज रेत व गिट्टी एवं अन्य भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन विनियमित किए जाने के आशय से निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-

(1) सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में कोयला एवं राखड़ (Fly Ash) का परिवहन करने वाले सभी भारी वाहनों का संचालन केवल **'विहित प्राधिकारी'** की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। इस निमित्त जिला अंतर्गत समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को **'विहित प्राधिकारी'** घोषित किया जाता है जो अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत वाहनों के विवरण एवं परिवहन हेतु निर्धारित मार्ग का उल्लेख करते हुए सशर्त परिवहन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। सक्षम अनुमति के बगैर कोयला एवं राखड़ (Fly Ash) का परिवहन इस आदेश का उल्लंघन होगा एवं उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

(2) सिंगरौली जिले में कोयले का परिवहन केवल तिरपाल से ढंके हुए बन्द वाहनों से ही किए जाने की अनुमति 'विहित प्राधिकारी' द्वारा दी जा सकेगी। परिवहनकर्ता द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि परिवहन के दौरान कोयला या कोयले की धूल किसी भी दशा में सड़क पर न गिरे एवं वातावरण में न फैले।

(3) सिंगरौली जिले में राखड़ (Fly Ash) का परिवहन केवल बंद कंटेनरों में ही किया जा

District Magistrate
Distt.-Singrauli (M.P.)

सकेगा। खुले वाहन में राखड़ (Fly Ash) का परिवहन करने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी।

(4) कोयला एवं राखड़ (Fly Ash) का परिवहन करने वाले सभी वाहनों की **अधिकतम गति सीमा 25 किलो मीटर प्रति घंटा** से अधिक नहीं होगी। निर्धारित गति सीमा सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी वाहनों में **स्पीड गवर्नर** लगाया जाना अनिवार्य होगा। बगैर स्पीड गवर्नर के वाहनों को कोयला एवं राखड़ (Fly Ash) के परिवहन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

(5) जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र अंतर्गत निगाही - अमलोरी मोड़ - माजन मोड़ - परसौना सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति नहीं होगी। उक्त मार्ग से कोयले का परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है।

(6) कोयला तथा राखड़ (Fly Ash) का परिवहन करने वाले वाहनों में 10-10 वाहनों के काफिले के आगे-पीछे एक-एक छोटा वाहन चलाया जाएगा जो वाहनों की निर्धारित गति (अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा) को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक काफिले के साथ-साथ प्राथमिक उपचार की सामग्री एवं अन्य आवश्यक संशाधनों से युक्त एक एम्बुलेंस संबंधित कोयला परियोजना द्वारा चलाई जाएगी जिससे कि किसी दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक बचाव व उपचार के साथ-साथ घायलों/मृतकों यदि कोई हों, को तत्काल नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाया जा सके। इस आदेश के उल्लंघन के लिए संबंधित कोयला परियोजना, क्रेता/उपभोक्ता कम्पनी तथा संबंधित कोल ट्रांसपोर्टर तीनों उत्तरदायी माने जाएंगे।

(7) कोयला एवं राखड़ (Fly Ash) का परिवहन करने वाले वाहनों के पास सम्पूर्ण वैधानिक दस्तावेज तथा संबंधी वाहन चालक का भारी वाहन चालन का जीवित ड्राइविंग् लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।

3- उपरोक्त के अलावा जिला अंतर्गत विभिन्न मार्गों से होकर कोयला, राखड़ (Fly Ash) तथा खनिज रेत व गिट्टी एवं अन्य भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन विनियमित किए जाने के

आशय से निम्नांकित तालिका में वर्णित अनुसार प्रवेश निषेध (No Entry) का समय निर्धारित किया जाता है :-

क्षेत्र का विवरण	सड़क मार्ग का विवरण	प्रवेश निषेध (No Entry) का समय
शहरी क्षेत्र (राखड़ (Fly Ash) तथा खनिज रेत व गिट्टी एवं अन्य भारी मालवाहक वाहनों के लिए)	परसौना - तेलाई - माजनमोड़ – नवानगर-अमलोरी- निगाही -जयन्त एवं माजनमोड़ – वैढ़न – गनियारी – विन्ध्यनगर एवं इसी मार्ग से वापसी	6.00 बजे से 23.00 बजे तक
ग्रामीण क्षेत्र	(1) महुआगॉव से निगरी	9.00 बजे से 11.00 बजे तक एवं 16.00 बजे से 20.00 बजे तक
	(2) बंधौरा पावर प्लांट से बरगवां (गड़ेरिया कॉनवाय प्वाइंट) मार्ग (वाया बंधौरा, रजमेलान-खुटार-परसौना-गड़रिया कॉनवाय प्वाइंट)	7.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं 17.00 बजे से 21.00 बजे तक
	(3) धिरौली कोल माइंस पार्किंग् एरिया से बंधौरा पॉवर प्लांट (वाया खनुआ तिराहा-गजरा बहरा (रेलवे साइडिंग्) - अमिलिया घाटी – गड़ाखांड़)	7.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं 17.00 बजे से 21.00 बजे तक
	(4) सरई से लंघाडोल मुख्य मार्ग- (सरई बाजार – झारा – गजरा बहरा – खनुआ तिराहा – गड़ाखांड बाजार)	16.00 बजे से 21.00 बजे तक

4- इस आदेश के किसी भी निर्देश का उल्लंघन, अनुपालन में लापरवाही, मिथ्या अथवा भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, पर्यावरण अथवा जनसुरक्षा को क्षति पहुँचे, की दशा में संबंधित परियोजना प्रबंधन, परियोजना प्रमुख, खदान प्रबंधक, ट्रांसपोर्टर एवं अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों/संस्थाओं/अधिकारियों के विरुद्ध

District Magistrate
Distt.-Singrauli (M.P.)

भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, खान एवं खनिज संबंधी प्रासंगिक विधिक प्रावधानों तथा अन्य लागू विधियों के अंतर्गत दाण्डिक, सिविल एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

5- ऐसी किसी भी घटना से उत्पन्न क्षति, राहत, पुनर्वास, सफाई, बहाली एवं पर्यावरणीय पुनर्स्थापन (Environmental Restoration) पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित परियोजना/प्रतिष्ठान /ट्रांसपोर्टर से वसूल किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी।

6- चूँकि यह भी देखने में आया है कि कई बार भारी वाहनों को सड़क पर लापरवाही पूर्वक खड़े रहने से भी दुर्घटनाएँ होती हैं। अतएव भविष्य में किसी भारी वाहन को अनावश्यक रूप से सड़क पर खड़े किए रहने के कारण कोई दुर्घटना होती है तो सवंधित भारी वाहन की उपयुक्तता (Fitness) तथा वाहन संचालन की अनुमति (Permit) निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

7- चूंकि यह आदेश वर्तमान परिस्थितियों एवं संभावित जोखिमों के दृष्टिगत जन-सुरक्षा, जन-स्वास्थ्य, लोक-शांति एवं लोक-हित में तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया जाना आवश्यक है एवं जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को आदेश निर्दिष्ट है, उन्हें तत्काल व्यक्तिश: सूचना दिया जाना संभव नहीं है, अतएव यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 की उपधारा (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इसकी प्रति सर्व संबंधित को आदेश के सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु भेजी जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली कृपया इस आदेश का प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से तथा आयुक्त, नगरपालिक निगम सिंगरौली अपने सभी उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से शहरी क्षेत्र में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला जन सम्पर्क अधिकारी, सिंगरौली विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया स्रोतों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराएंगे।

8- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(गौरव बैनल)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 175/ /आर0डी0एम0/2026 सिंगरौली, दिनांक 08 जून, 2026

प्रतिलिपि:-

1. कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम सिंगरौली
5. उपखण्ड मजिस्ट्रेट (समस्त) जिला सिंगरौली
6. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, जिला सिंगरौली
7. अध्यक्ष-सह-प्रवंध निदेशक, एन0सी0एएन0सी0एल0 सिंगरौली
8. कार्यपालन निदेशक, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली
9. समस्त निजी पावर/कोल परियोजनाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

   ....

10. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला सिंगरौली

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट

जिला सिंगरौली (म0प्र0)